न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 36 / 2024 (Bank Case)
GCMS No. 2024/ 46

फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, शाखा कार्यालय– 3rd फ्लोर, साई कृपा बिल्डिंग, विधुत नगर–सी, गांधी पथ, एयरटेल ऑफिस के बगल में, वैशाली नगर, जयपुर राजस्थान में स्थित व कार्यरत है। जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्रीमान निमित चतुर्वेदी।

– **प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर**

बनाम

1. नन्द किशोर पुत्र श्री घनश्याम **(ऋणी)**
   पता– ग्राम देवकुई, केवल नगर, लाडपुरा, जिला कोटा (राज.)–325003
2. श्रीमती गीता बाई पत्नी श्री नन्द किशोर **(सहऋणी / बंधककर्ता)**
   पताः– ग्राम देवकुई, केवल नगर, लाडपुरा, जिला कोटा (राज.)–325003

– **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित
श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक 14-08- .2024

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, शाखा कार्यालय– 3rd फ्लोर, साई कृपा बिल्डिंग, विधुत नगर–सी, गांधी पथ, एयरटेल ऑफिस के बगल में, वैशाली नगर, जयपुर राजस्थान में स्थित व कार्यरत है से अप्रार्थीगण ने ऋण खाता संख्या 19660000023698 में राशि 4,00,000 / – रूपये (अक्षरे चार लाख रूपये मात्र) एवं ऋण खाता संख्या 20660000358110 में राशि 1,23,710 / – रूपये (अक्षरे एक लाख तेईस हजार सात सौ दस रूपये मात्र), इस प्रकार कुल ऋण 5,23,710 / – रूपये (अक्षरे पाच लाख तेईस हजार सात सौ दस रूपये मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **नन्द किशोर पुत्र श्री घनश्याम की अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 138, दिनांक 20.06.18, ग्राम देव कुई, ग्राम पंचायत– कोलाना, पंचायत समिति– लाडपुरा, जिला– कोटा, राजस्थान में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढ़ांचा, आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षैत्रफल 759 वर्गफीट है,** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक. 10.03.2022 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खाते मे बकाया राशि 3,56,395 / – (अक्षरे रूपये तीन लाख, छप्पन हजार, तीन सौ पिचानवें मात्र) बकाया रकम दिनांक 04.07.2022 तक शेष देय है एवं इसके पश्चात आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 06.07.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा 2002

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

प्रा0 पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजि0 किया जाकर न्यायहित को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया किन्तु अप्रार्थी नोटिस प्राप्ति के बावजूद अनुपस्थित रहने से वकील प्रार्थी को सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 06.07.2022 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेष फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 06.07.2022 को नोटिस भी अप्रार्थी को प्रेषित किये गये। इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ऋणी/बंधककर्ता **नन्द किशोर पुत्र श्री घनश्याम की अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 138, दिनांक 20.06.18, ग्राम देव कुई, ग्राम पंचायत– कोलाना, पंचायत समिति– लाडपुरा, जिला– कोटा, राजस्थान में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढ़ांचा, आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षैत्रफल 759 वर्गफीट** है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो तथा आदेश की प्रति अप्रार्थी को भी जरिये डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे। इस आदेश की क्रियान्विति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह बाद की जावें। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 14-08-2024 को सुनाया गया।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला मजिस्ट्रेट कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)